अनुदान संख्या 50 – चंडीगढ़
GRANT No. 50 - CHANDIGARH

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*		*40,76,00*	*29,12,52*	*-11,63,48*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*11,0700*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	4603,20,00	4603,27,00	4199,47,34	-403,79,66
पूरक	Supplementary	7,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				402,95,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित–	*Charged-*		*55,00,00*	*55,00,00*	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	439,14,00	439,23,00	359,47,49	-79,75,51
पूरक	Supplementary	9,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				79,33,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:–

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “2014” न्याय प्रशासन	Major Head “2014” Administration of Justice				
मू.	*O.*	*3756.00*	*2754.00*	*2708.29*	*-45.71*
पु.	*R.*	*-1002.00*			

(I) *₹ 10.00 लाख* का *विनियोग* एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of *₹ 10.00 lakhs* remained wholly unutilized under one head.

(II) मुख्य शीर्ष “2014” – “उच्च न्यायालय – स्थापना” के अंतर्गत – *₹ 905.79 लाख* की बचत (*₹ 3576.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण रिक्त पदों को न भरे जाने और कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head “2014”- “High Courts-Establishment” - saving of *₹905.79 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹3576.00 lakhs*) was due to non-filling up of vacant posts and less tours undertaken owing to COVID-19 pandemic.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

मुख्य शीर्ष “2014” न्याय प्रशासन	Major Head “2014” Administration of Justice				
मू.	O.	39976.00	36659.98	36658.16	-1.82
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-3317.02			
मुख्य शीर्ष “2015” निर्वाचन	Major Head “2015” Elections				
मू.	O.	1000.00	..	..	..
पु.	R.	-1000.00			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	O.	50796.00	47794.08	47787.71	-6.37
पु.	R.	-3001.92			
मुख्य शीर्ष "2056"	Major Head "2056"				
जेल	Jails				
मू.	O.	2584.00	2071.21	2070.93	-0.28
पु.	R.	-512.79			
मुख्य शीर्ष "2059"	Major Head "2059"				
लोक निर्माण	Public Works				
मू.	O.	15296.00	13657.23	13648.40	-8.83
पु.	R.	-1638.77			
मुख्य शीर्ष "2070"	Major Head "2070"				
अन्य प्रशासनिक सेवा	Other Administrative Services				
मू.	O.	7360.00			
पू.	S.	1.00	7856.05	7855.81	-0.24
पु.	R.	495.05			
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"				
सामान्य शिक्षा	General Education				
मू.	O.	59558.00			
पू.	S.	1.00	54510.42	54491.61	-18.81
पु.	R.	-5048.58			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2203"	Major Head "2203"				
तकनीकी शिक्षा	Technical Education				
मू.	O.	10735.00	9400.49	9398.92	-1.57
पु.	R.	-1334.51			
मुख्य शीर्ष "2204"	Major Head "2204"				
खेल तथा युवा सेवाएं	Sports and Youth Services				
मू.	O.	3338.00	2390.00	2389.64	-0.36
पु.	R.	-948.00			
मुख्य शीर्ष "2205"	Major Head "2205"				
कला तथा संस्कृति	Art and Culture				
मू.	O.	2871.00	2074.23	2072.29	-1.94
पु.	R.	-796.77			
मुख्य शीर्ष "2210"	Major Head "2210"				
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health				
मू.	O.	45481.00	43858.43	43826.42	-32.01
पु.	R.	-1622.57			
मुख्य शीर्ष "2216"	Major Head "2216"				
आवास	Housing				
मू.	O.	4157.00	3367.61	3367.33	-0.28
पु.	R.	-789.39			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2217"	Major Head "2217"				
शहरी विकास	Urban Development				
मू.	O.	67619.00			
पू.	S.	1.00	65468.16	65467.37	-0.79
पु.	R.	-2151.84			
मुख्य शीर्ष "2245"	Major Head "2245"				
प्राकृतिक आपदाओं के	Relief on account of				
कारण राहत	Natural Calamities				
मू.	O.	54.00			
पू.	S.	1.00	1014.85	1014.84	-0.01
पु.	R.	959.85			
मुख्य शीर्ष "2801"	Major Head "2801"				
विद्युत	Power				
मू.	O.	92714.00			
			80297.70	80297.35	-0.35
पु.	R.	-12416.30			
मुख्य शीर्ष "3055"	Major Head "3055"				
सड़क परिवहन	Road Transport				
मू.	O.	25527.00			
पू.	S.	1.00	19003.25	18999.35	-3.90
पु.	R.	-6524.75			
मुख्य शीर्ष "3452"	Major Head "3452"				
पर्यटन	Tourism				
मू.	O.	632.00			
पू.	S.	1.00	3009.71	3009.66	-0.05
पु.	R.	2376.71			

(I) ₹1036.80 लाख का प्रावधान चौदह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹1000.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "2015" – "पंचायतों / स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजन हेतु प्रभार – नगरपालिकाओं का चुनाव" के अंतर्गत – नगर निगम चुनावों का आयोजन न होने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹1036.80 lakhs remained wholly unutilized under fourteen heads; of these ₹1000.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2015" - "Charges for Conduct of Election to Panchayats/Local Bodies - Election for Municipalities" - due to non-holding of Municipal Corporation elections.

(II) मुख्य शीर्ष "2014" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(II) Under Major Head "2014" - savings occurred under the following heads:-

(का) "उच्च न्यायालय – स्थापना" – ₹2071.14 लाख की बचत (₹34734.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और कोविड–19 महामारी के कारण उच्च न्यायालय बंद होने के कारण हुई।

(A) "High Courts-Establishment" - saving of ₹2071.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹34734.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and closure of High Court owing to COVID-19 pandemic.

(खा) "सिविल तथा सत्र न्यायालय – स्थापना" – ₹1195.26 लाख की बचत (₹4260.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण रिक्त पदों को न भरे जाने, महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने तथा बिजली, पानी और कार्यालय सामग्री के कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(B) "Civil and Session Courts- Establishment" - saving of ₹1195.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4260.50 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, freezing of dearness allowance and receipt of less claims towards electricity, water and office material owing to COVID-19 pandemic.

(III) मुख्य शीर्ष "2055" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(III) Under Major Head "2055" - savings occurred under the following heads:-

(का) "आपराधिक अन्वेषण तथा सतर्कता – आपराधिक अन्वेषण विभाग" – ₹1652.35 लाख की बचत (₹3638.57 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, कम दौरे किए जाने तथा तथा पुरस्कारों के अंतर्गत कम लाभार्थी शामिल होने के कारण हुई।

(A) "Criminal Investigation and Vigilance-Criminal Investigation Department" - saving of ₹1652.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3638.57 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, freezing of dearness allowance, less tours undertaken and less number of beneficiaries under rewards.

(खा) "जिला पुलिस – चंडीगढ़" – ₹781.93 लाख की बचत (₹39104.43 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, चिकित्सा, पानी तथा बिजली के कम बिल प्राप्त होने और शस्त्रास्त्र और एम्यूनिशन की खरीद कम होने के कारण हुई।

(B) "District Police - Chandigarh" - saving of ₹781.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹39104.43 lakhs) was due to non-finalization of proposals, receipt of less medical, water and electricity bills and purchase of less Arms and Ammunition owing to COVID-19 pandemic.

(IV) मुख्य शीर्ष "2056" – "निदेशन और प्रशासन – जेल स्थापना" के अंतर्गत – ₹513.07 लाख की बचत (₹2584.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, दिहाड़ी मजदूरी को कम संख्या में लेने तथा विशेष कोविड–19 पैरोल के कारण कैदियों को कम दिहाड़ी दिए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2056" - "Direction and Administration- Jail Establishment" - saving of ₹513.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2584.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, freezing of dearness allowance, hiring of less daily wagers and less wages to prisoners due to special COVID-19 parole.

(V) मुख्य शीर्ष "2059" – "सामान्य – अनुरक्षण तथा मरम्मरत – स्थापना" के अंतर्गत – ₹1162.45 लाख की बचत (₹4786.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने के कारण हुईः–

(V) Under Major Head "2059" - "General - Maintenance and Repairs - Establishment" - saving of ₹1162.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4786.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and freezing of dearness allowance.

(VI) मुख्य शीर्ष "2202" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईः–

(VI) Under Major Head "2202" - savings occurred under the following heads:-

(का) "प्रारंभिक शिक्षा – निदेशन और प्रशासन – प्राथमिक विद्यालय" – ₹2515.69 लाख की बचत (₹23050.40 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, महंगाई भत्तों का स्थिरीकरण किए जाने, कम सामग्री खरीदे जाने, कम संविदागत स्टाफ लिए जाने, स्कूलों में डीबीटी के लिए पंजीकरण कम होने तथा निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस स्कीम के अंतर्गत दावों का निपटान न होने के कारण हुई।

(A) "Elementary Education - Direction and Administration- Primary Schools" - saving of ₹2515.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23050.40 lakhs) was due to non- filling up of vacant posts, freezing of dearness allowance, purchase of less material, hiring of less outsourced staff, less enrolment in Government schools for DBT and non settlement of claims under EWS Scheme in Private Schools.

(खा) "माध्यमिक शिक्षा – सरकारी माध्यमिक विद्यालय – माध्यमिक विद्यालय" – ₹1274.25 लाख की बचत (₹15695.80 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण रिक्त पदों को न भरे जाने, महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने और बिजली, पानी तथा कार्यालय संबंधी सामान के बिलों की कम प्राप्ति होने, फर्नीचर की आपूर्ति न होने और राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आयोजन नहीं होने के कारण हुई।

(B) "Secondary Education - Government Secondary Schools - Secondary Schools" - saving of ₹1274.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15695.80 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, freezing of dearness allowance, receipt of less electricity, water and office material bills, non-supply of furniture and non-conducting of National School Games owing to COVID-19 pandemic.

(गा) "विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा – सरकारी कॉलेज तथा संस्थान – कला तथा विज्ञान कॉलेज" – ₹1036.22 लाख की बचत (₹8099.57 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महामारी के कारण रिक्त पदों को न भरे जाने, महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, कम संविदागत स्टाफ

(C) "University and Higher Education - Government Colleges and Institutes - Arts and Science College" - saving of ₹1036.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8099.57 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, freezing of dearness

लिए जाने तथा बिजली, पानी और कार्यालय सामग्री के बिल कम आने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष "2203" – "इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान – पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज" – ₹900.00 लाख की बचत (₹6750.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा खरीदों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने की वजह से सहायता अनुदानों की पहली किस्त न जारी किए जाने के कारण हुई।

(VIII) मुख्य शीर्ष "2204" – "शारीरिक शिक्षा – स्पोर्ट्स कोचिंग सेंटर" – ₹642.57 लाख की बचत (₹2100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, बिजली, पानी तथा कार्यालय सामानों के कम बिल प्राप्त होने, छात्रवृत्तियों/वृत्तिकाओं के लिए लाभार्थियों की संख्या कम होने तथा पिछले वर्ष के अव्ययित शीर्षों के उपलब्ध होने के कारण हुई।

(IX) मुख्य शीर्ष "2205" – "कला तथा संस्कृति का संवर्धन" – अन्य स्कीमें" – ₹511.58 लाख की बचत (₹625.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन न होने और कम दिहाड़ी मजदूरों को लिए जाने के कारण हुई।

(X) मुख्य शीर्ष "2210" – "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी – अस्पताल तथा औषधालय – अन्य औषधालय" के अंतर्गत – ₹606.90 लाख की बचत (₹3620.60 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, बिजली, पानी तथा कार्यालय सामानों के कम बिल प्राप्त होने तथा एंड डायस्टोलिक लेंग्थ मेंडिसिंस की कम खरीद किए जाने के कारण हुई।

(XI) मुख्य शीर्ष "2216" – "सामान्य पूल आवास – अनुरक्षण और मरम्मत – अन्य अनुरक्षण व्यय" के अंतर्गत – ₹747.20 लाख की बचत (₹3704.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सरकारी मकानों के नवीकरण के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने तथा कम संविदागत स्टाफ लिए

allowance, hiring of less outsourced staff and receipt of less electricity, water and office material bills.

(VII) Under Major Head "2203"- "Engineering/ Technical Colleges and Institutes - Punjab Engineering College" - saving of ₹900.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6750.00 lakhs) was due to non-release of 1st Installment of Grants-in-aid by Chandigarh Administration for purchases not being finalized owing to COVID-19 pandemic.

(VIII) Under Major Head "2204" - "Physical Education - Sports Coaching Centre"- saving of ₹642.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2100.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, freezing of dearness allowance, receipt of less electricity, water and office material bills, less number of beneficiaries for Scholarships/Stipends and availability of unspent balances of previous year.

(IX) Under Major Head "2205" - "Promotion of Arts and Culture - Other Schemes" - saving of ₹511.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹625.00 lakhs) was due to non-organising of cultural programmes and hiring of less daily wagers owing to COVID-19 pandemic.

(X) Under Major Head "2210" - "Urban Health Services - Allopathy - Hospital and Dispensaries- Other Dispensaries" - saving of ₹606.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3620.60 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, freezing of dearness allowance, receipt of less electricity, water and office material bills and purchase of less End-diastolic Length Medicines.

(XI) Under Major Head "2216" - "General Pool Accommodation- Maintenance and Repairs- Other Maintenance Expenditure" - saving of ₹747.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3704.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards

जाने के कारण हुआ।

renovation of Government houses and hiring of less outsourced staff.

(XII) मुख्य शीर्ष "2217" – "सामान्य – स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता – चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी" – ₹9500.00 लाख की बचत (₹22500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण अनुदानों को कम मात्रा में उपयोग करने के कारण हुई।

(XII) Under Major Head "2217" - "General - Assistance to Local Bodies, Corporations, Urban Development Authorities, Town Improvement Boards etc. - Chandigarh Smart City"- saving of ₹9500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22500.00 lakhs) was due to less utilization of grants owing to COVID-19 pandemic.

(XIII) मुख्य शीर्ष "2801" – "संचरण तथा वितरण" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(XIII) Under Major Head "2801" - "Transmission and Distribution" - savings occurred under the following heads:-

(का) "चंडीगढ़ में बिजली का संचरण और वितरण – बिजली का वितरण" – ₹11618.82 लाख की बचत (₹91714.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, आउटसोर्सड स्टाफ को कम संख्या में लिए जाने तथा बिजली, पानी और कार्यालय सामग्री के कम बिल प्राप्त होने के कारण हुई।

(A) "Transmission and Distribution of Power in Chandigarh - Distribution of Power" - saving of ₹11618.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹91714.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, freezing of dearness allowance, hiring of less outsourced staff and receipt of less electricity, water and office material bills.

(खा) "उचंत – स्टॉक" – ₹797.83 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निजीकरण तथा कोविड–19 महामारी के कारण सामान अर्थात ट्रांसफार्मर, अंडरग्राउन्ड केबल आदि की अधिप्राप्ति न होने की वजह से हुई।

(B) "Suspense - Stock" - saving of ₹797.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to non- procurement of material viz transformers, underground cables etc. owing to privatization and COVID-19 pandemic.

(XIV) मुख्य शीर्ष "3055" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(XIV) Under Major Head "3055" - savings occurred under the following heads:-

(का) "चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम" –

(A) "Chandigarh Transport Undertaking" -

(क) "संचालन" – ₹3752.33 लाख की बचत (फरवरी, 2021 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹19406.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने और अन्तार्राज्य बसों का पूरी क्षमता से संचालन न होने के कारण हुई।

(a) "Operation" - saving of ₹3752.33 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹19406.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in February, 2021) was due to non-filling up of vacant posts, freezing of dearness allowance and non-operation of full strength of Inter-State Buses.

(ख) “मरम्मत तथा अनुरक्षण” – ₹1806.15 लाख की बचत (₹3785.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, अन्तर्राज्य बसों का पूरी क्षमता से संचालन न होने के कारण कम सामानों की खरीद किए जाने और चंडीगढ़ सिटी बस सर्विस सोसाइटी द्वारा एएमसी प्रभारों का वहन किए जाने के कारण हुई।

(b) “Repairs and Maintenance” - saving of ₹1806.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3785.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, freezing of dearness allowance and purchase of less material due to non-operation of full strength of Inter-State Buses and AMC Charges borne by Chandigarh City Bus Service Society.

(खा) “अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – विश्व बैंक प्रायोजित परियोजना” – ₹861.83 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण आईटीएस परियोजना के लिए खरीदे जाने वाली मदों की सुपुर्दगी न होने के कारण हुई।

(B) “International Co-operation - World Bank Sponsored Project” - saving of ₹861.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to non-delivery of items to be purchased for ITS Project owing to COVID-19 pandemic.

(XV) ग्यारह शीर्षों के अन्तर्गत ₹4000.63 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत से 91 प्रतिशत थीं।

(XV) Under eleven heads savings of ₹4000.63 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 11 percent to 91 percent of the sanctioned provision.

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹12353.80 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि फरवरी, 2021 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹5.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया थाः–

3.(I) The above savings were partly (₹12353.80 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹5.00 lakhs in February, 2021 under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष “2070” – “अतिथि गृह, सरकारी हॉस्टल आदि – संघ राज्य क्षेत्र अतिथि गृह” – ₹676.80 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹676.79 लाख था।

(A) Major Head “2070” - “Guest Houses, Government Hostels etc.- Union Territory Guest House” - ₹676.80 lakhs. Actual excess, however, was ₹676.79 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष “2202” – “सामान्य – छात्रवृत्तियां – सामान्य छात्रवृत्तियां” – ₹831.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹830.96 लाख था।

(B) Major Head “2202” - “General - Scholarships - General Scholarships” - ₹831.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹830.96 lakhs.

(गा) मुख्य शीर्ष “2217” – “सामान्य – स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता – नगर निगम चंडीगढ़” – ₹7499.00 लाख।

(C) Major Head “2217” - “General - Assistance to Local Bodies, Corporations, Urban Development Authorities, Town Improvement Boards etc. - Municipal Corporation Chandigarh” - ₹7499.00 lakhs.

(घा) मुख्य शीर्ष "2245" – "बाढ़, चक्रवात आदि – आनुग्रहिक राहत – राज्य आपदा राहत निधि" – ₹963.85 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹963.84 लाख था।

(D) Major Head "2245" - "Floods, Cyclones etc.- Gratuitous Relief - State Disaster Relief Fund" - ₹963.85 lakhs. Actual excess, however, was ₹963.84 lakhs.

(ङ.) मुख्य शीर्ष "3452" – "सामान्य – संवर्धन तथा प्रचार – पर्यटन सुविधाएं" – ₹2383.15 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹2383.14 लाख था।

(E) Major Head "3452" - "General - Promotion and Publicity - Tourism Facilities" - ₹2383.15 lakhs. Actual excess, however, was ₹2383.14 lakh.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:–

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2059" – "सामान्य – अनुरक्षण तथा मरम्मत – भवनों की मरम्मत तथा अनुरक्षण" – ₹568.08 लाख का अधिक व्यय (₹4461.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नगर निगम चंडीगढ़ को भुगतान होने वाले संपत्ति कर तथा अधिक संविदागत स्टाफ को लेने के कारण अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(A) Under Major Head "2059" - "General - Maintenance and Repairs - Repairs and Maintenance of Buildings" - excess of ₹568.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4461.50 lakhs) was due to requirement of additional funds towards payment of Property Tax to Municipal Corporation, Chandigarh and hiring of more outsourced staff.

(खा) मुख्य शीर्ष "2210" – "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान – एलोपैथी – सरकारी चिकित्सा कॉलेज" के अंतर्गत – ₹869.84 लाख का अधिक व्यय (₹26620.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे जाने तथा अधिक संविदागत स्टाफ लिए जाने के कारण अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता की वजह से हुआ।

(B) Under Major Head "2210"- "Medical Education, Training and Research - Allopathy - Government Medical College" - excess of ₹869.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹26620.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards filling up of vacant posts and hiring of more outsourced staff.

(III) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹1428.91 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 47 प्रतिशत से 8317 प्रतिशत था।

(III) Under four heads excess of ₹1428.91 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 47 percent to 8317 percent of the sanctioned provision.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत हिस्से में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

4. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4055"	Major Head "4055"				
पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Police				
मू.	O.	5330.00			
पू.	S.	1.00	6067.75	6065.39	-2.36
पु.	R.	736.75			
मुख्य शीर्ष "4059"	Major Head "4059"				
सार्वजनिक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	1955.00			
पू.	S.	1.00	458.00	457.99	-0.01
पु.	R.	-1498.00			
मुख्य शीर्ष "4202"	Major Head "4202"				
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Education Sports, Art and Culture				
मू.	O.	7863.00			
			5172.01	5171.84	-0.17
पु.	R.	-2690.99			
मुख्य शीर्ष "4210"	Major Head "4210"				
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Medical and Public Health				
मू.	O.	6719.00			
		1.00	4519.60	4519.54	-0.06
पु.	R.	-2200.40			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4801"	Major Head "4801"				
विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Power Projects				
मू.	O.	2500.00			
पू.	S.	1.00	3028.25	3028.22	-0.03
पु.	R.	527.25			
मुख्य शीर्ष "5055"	Major Head "5055"				
सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Road Transport				
मू.	O.	3123.00			
पू.	S.	1.00	780.04	740.27	-39.77
पु.	R.	-2343.96			

(I) ₹240.00 लाख का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹240.00 lakhs remained wholly unutilized under four heads.

(II) मुख्य शीर्ष "4059" – "अन्य भवन – निर्माण – न्याय प्रशासन" – ₹1529.84 लाख की बचत (₹1907.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जिला न्यायालय परिसर में बहुस्तरीय पार्किंग तथा सेक्टर 10, चंडीगढ़ में माननीय न्यायाधीशों के मकानों के निर्माण का अनुमोदन न मिलने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4059" - "Other Buildings - Construction - Administration of Justice"- saving of ₹1529.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1907.00 lakhs) was due to non-approval for construction of multi level parking at District Court Complex and houses for Hon'ble Judges in Sector 10, Chandigarh.

(III) मुख्य शीर्ष "4202" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं।

(III) Under Major Head "4202" - savings occurred under the following heads:-

(का) "सामान्य शिक्षा – माध्यमिक शिक्षा – भवन" – ₹650.02 लाख की बचत (₹2598.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चंडीगढ़ के पलसोरा, सेक्टर 10 तथा कझेरी के

(A) "General Education - Secondary Education - Building" - saving of ₹650.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2598.00 lakhs) was due to

सरकारी स्कूलों के विस्तार के लिए निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

non-finalization of tender for extension of Government Schools of Palsora, Sector 10 and Kajheri Chandigarh.

(खा) "तकनीकी शिक्षा – इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान – पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़"– ₹1288.36 लाख की बचत (₹1323.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुकदमे के कारण कुरुक्षेत्र बालक छात्रावास के लिए निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने और चंडीगढ़ के पीईसी 12 में विभिन्न छात्रावासों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(B) "Technical Education- Engineering/ Technical Colleges and Institutes- Punjab Engineering College, Chandigarh" - saving of ₹1288.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1323.00 lakhs) was due to non-finalization of tender for Krukshetra Boys hostel owing to Court Case and non-receipt of administrative approval for various hostels in PEC 12, Chandigarh.

(गा) "खेल तथा युवा सेवाएं – खेल स्टेडियम – भवन" – ₹585.01 लाख की बचत (₹908.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चंडीगढ़ के सेक्टर–25 में शूटिंग रेंज के निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(C) "Sports and Youth Services - Sports Stadia - Building" - saving of ₹585.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹908.00 lakhs) was due to non-receipt of administrative approval for construction of Shooting Range at Sector 25, Chandigarh.

(IV) मुख्य शीर्ष "4210" – "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान – एलोपैथी – सरकारी मेडिकल कॉलेज/चंडीगढ़ के सेक्टर–32 में 500 बिस्तरों वाला दूसरा जनरल अस्पताल" – ₹1961.45 लाख की बचत (₹5109.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर के निर्माण के लिए निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने, इमरजेंसी ब्लॉक, जीएमसीएच सेक्टर–32, चंडीगढ़ के निर्माण में विलंब होने तथा वाहनों और चिकित्सा उपकरणों के लिए अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "4210" - "Medical Education, Training and Research - Allopathy- Government Medical College/500 Bedded Second General Hospital Sector 32, Chandigarh" - saving of ₹1961.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5109.00 lakhs) was due to non-finalization of tenders for construction of Sports Injury Centre, delay in construction of Emergency Block, GMCH Sector 32, Chandigarh and non-receipt of approval for vehicle and medical equipments

(V) मुख्य शीर्ष "5055" – "फ्लीट का अर्जन – चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम" के अंतर्गत – ₹2341.53 लाख की बचत (₹2400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण बसों की खरीद के लिए निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "5055" - "Acquisition of Fleet - Chandigarh Transport Undertaking" - saving of ₹2341.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2400.00 lakhs) was due to non-finalization of tender for purchase of buses owing to COVID-19 pandemic.

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹485.43 लाख की बचत हुई, जो स्वीकृत प्रावधान का 37 प्रतिशत थीं।

(VI) Under one head saving of ₹485.43 lakhs occurred constituting 37 percent of the sanctioned provision.

5. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹1748.10 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि फरवरी, 2001 में निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) मुख्य शीर्ष "4055" – "पुलिस आवास – भवन" – ₹1220.85 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹1219.82 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "4801" – "संचरण तथा वितरण – चंडीगढ़ में बिजली का संचरण तथा वितरण – बिजली का संचरण तथा वितरण" – ₹527.25 लाख था। तथापि, वास्तवकि अधिक व्यय, ₹527.22 लाख था।

5. The above savings were partly (₹1748.10 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in February, 2021 under the following major heads:-

(A) Major Head "4055" - "Police Housing-Building" - ₹1220.85 lakhs. Actual excess, however, was ₹1219.82 lakhs.

(B) Major Head "4801" - "Transmission and Distribution - Transmission and Distribution of Power in Chandigarh - Transmission and Distribution of Power" - ₹527.25 lakhs. Actual excess, however, was ₹527.22 lakhs.